संख्या– 188/77–1–2022–156/2021

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक 03 फरवरी, 2022

विषयः– प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजनान्तर्गत उपकरणों के सतत वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण हेतु टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना को लागू किए जाने विषयक शासनादेश संख्या– 1502/77–1–2021, दिनांक 06–10–2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण सम्बन्धी योजना प्रारम्भ की गयी है।

2– इस योजना में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत स्नातक; स्नातकोत्तर; डिप्लोमा; कौशल विकास; पैरामेडिकल; नर्सिंग आदि एवं कतिपय अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित किये जाने की व्यवस्थान्तर्गत दिनाँक 25–12–2021 को भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में समस्त 75 जनपदों से आए छात्र/छात्राओं को टैबलेट पीसी/स्मार्ट फोन प्रदान करते हुए योजना का शुभारम्भ किया गया तथा अब तक लगभग 84,122 उपकरणों का वितरण विभिन्न जनपदों के स्तर पर किया जा चुका है।

3– डिजीशक्ति पोर्टल पर दिनाँक 24–01–2022 तक के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार जनपदों में कुल 2,06,000 टैबलेट पीसी/स्मार्ट फोन की आपूर्ति की जा चुकी है जिनमें से उपरोक्तानुसार संख्या को छोड़कर अधिकाँश अभी लाभार्थियों को वितरण हेतु जनपदों के पास उपलब्ध हैं।

4– विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 की घोषणा तथा प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किए जाने वाले प्रस्तावों की स्क्रीनिंग हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या– 26/पीएसएमएस/2022 दिनाँक 08–01–2022 द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। उक्तानुसार गठित कमेटी की दिनाँक 21–01–2022 को सम्पन्न बैठक में टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजनान्तर्गत आपूर्ति/वितरण किए जा रहे टैबलेट पीसी/स्मार्ट फोन के वितरण को आदर्श आचार संहिता के प्रस्तर–5.2.1(vii) तथा FAQ के बिन्दु–27 के अनुसार चालू योजना होने के कारण निर्वाचन अवधि में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

5– उक्त निर्णय के क्रम में जनपदों को आपूर्तित टैबलेट पीसी/स्मार्ट फोन में से उपलब्ध उपकरणों का वितरण आदर्श आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन में चयनित लाभार्थियों को अग्रेत्तर जारी रखा जाना है। आपूर्तित किए जाने वाले तथा जनपदों को पूर्व से आपूर्तित एवं उनके पास उपलब्ध टैबलेट पीसी/स्मार्ट फोन के बूट लोगो एवं वॉल पेपर को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में योजनान्तर्गत नोडल एजेन्सी–यूपीडेस्को के स्तर से इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया है कि उनमें किन्हीं राजनेताओं/माननीयों के फोटोग्राफ अथवा उनके कथन परिलक्षित न हों। जनपदों से भी अपेक्षा की जाती है कि वह आपूर्तित उपकरणों के वितरण की प्रक्रिया इस प्रकार सम्पादित करें कि उसमें आदर्श आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकाल का पूर्णतया अनुपालन हो तथा वितरण के समय कोई राजनैतिक गतिविधि अथवा किसी राजनेता/माननीय की उपस्थिति न हो।

6— आप अवगत ही हैं कि उपकरणों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए योजनान्तर्गत विभाग/संस्थानवार लाभार्थी जिनको टैबलेट पीसी/स्मार्टफोन वितरित किए जाने हैं, का विवरण निम्नवत है:—

SR.	DEPARTMENT/INSTITUTION	DEVICE TYPE
1	HIGHER EDUCATION DEPARTMENT (UG COURSES)	SMART PHONE
	MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES DEPARTMENT	
	UTTAR PRADESH SKILL DEVELOPMENT MISSION	
2	HIGHER EDUCATION DEPARTMENT (PG COURSES)	TABLET PC
	STATE COUNCIL FOR VOCATIONAL TRAINING	
	MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT	
	TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT	
	DEPARTMENT OF CULTURE	
	EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES DEPARTMENT	
	ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT	
	DEPARTMENT OF AGRICULTURE EDUCATION AND RESEARCH	

7— यह भी संज्ञान में लाना है कि उपरोक्त विभागों/संस्थानों के अन्तर्गत छात्र—छात्रायें जोकि अपने अध्ययनरत कोर्स के अन्तिम वर्ष में पढ़ रहे हैं अथवा जिनके कोर्स की अवधि एक वर्ष अथवा उससे कम है, को प्रथम चरण में यह टैबलेट पीसी/स्मार्ट फोन वितरित किया जाना निर्धारित किया गया है। डिजीशक्ति पोर्टल पर अपलोडेड डाटा में से प्रथम चरण हेतु कुल 17.70 लाख छात्र—छात्राओं का चयन करते हुये उनको तत्सम्बन्धी एस.एम.एस. पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके हैं तथा वितरण हेतु किन्हीं नये छात्र—छात्राओं का चयन नहीं किया जा रहा है।

8— जनपदों द्वारा टैबलेट पीसी/स्मार्ट फोन को इन चयनित छात्र—छात्राओं के मध्य वितरित किये जाने के पूर्व संस्थानों के स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से उनकी मैपिंग की कार्यवाही आवश्यक रूप से पूर्ण करा ली जानी होगी ताकि मैपिंग उपरान्त डिजीशक्ति पोर्टल पर मैप्ड डाटा के उपलब्ध हो जाने से छात्र—छात्राओं को अग्रतर लर्निंग कन्टेन्ट अथवा शासकीय योजनाओं से सम्बन्धित सामग्री का ससमय प्रेषण तथा इनका लाभ प्राप्त हो सके।

9— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद के अधीन संस्थानों द्वारा उपरोक्त बिन्दु—7 में दिये गये मापदण्ड के अनुसार शार्टलिस्ट/चयनित किए गए छात्र/छात्राओं में से, आपूर्ति उपरान्त जनपदों के पास उपलब्ध उपकरणों की संख्या के अनुसार छात्र/छात्राओं हेतु आदर्श आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए टैबलेट पीसी/स्मार्टफोन के वितरण को सतत रूप में अग्रेतर जारी रखने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांकः यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

3. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव